बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

दिनांक–07.10.2014 को छठ महापर्व 2014 के सापेक्ष आपदा प्रबंधन की दृष्टि से की जाने वाली पूर्व तैयारियों के संबंध में प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक की कार्यवाही :–

---

1. उपस्थिति– संलग्न

2. बैठक के आरम्भ में प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा विषय का प्रवर्तन किया गया। छठ महापर्व बिहार राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोकपर्व है। इस पर्व के दौरान तीन दिनों तक नदियों के घाटों पर तथा तालाबों पर श्रद्धालुओं और छठव्रतियों की भारी भीड़ होती है, जो अपार संख्या में नदी–घाटों और तालाबों पर उमड़कर पूजा–अर्चना करते हैं। यह त्यौहर इस वर्ष 29–30 अक्टूबर को मनाया जाएगा। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा छठ महापर्व के दौरान किसी दुर्घटना/आपदा को रोकने हेतु प्रत्येक वर्ष पूर्व तैयारियाँ की जाती हैं। इस वर्ष भी विभाग द्वारा इसी परिप्रेक्ष्य में इस बैठक का आयोजन किया गया है। विगत वर्षो के प्राप्त अनुभवों से यह स्पष्ट हुआ है कि छठ महापर्व के दौरान छठव्रतियों और श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार बृद्धि हो रही है, जिससे कि किसी लापरवाही के कारण दुर्घटना की आशंका उत्पन्न हो सकती है। वर्ष 2012 में छठ पूजा के दौरान संध्या में हुई भगदड़ में 18 लोगों की मृत्यु भी हुई थी। इस वर्ष रावण–दहन के दौरान गाँधी मैदान में दिनांक–3 अक्टूबर की संध्या में भी भगदड़ के दौरान 33 लोगों की मृत्यु हो गई है तथा दशहरा के दौरान सारण एवं किशनगंज जिलो में अशांति उत्पन्न हुई है। इन दृष्टांतों के आलोक में विभाग द्वारा छठ महापर्व के पूर्व की जाने वाली तैयरियों को और व्यापक और सटीक किया जाना आवश्यक है। ***इस वर्ष आपदा प्रबंधन की दृष्टि से छठ पूजा के पूर्व की समस्त तैयारियाँ सम्पूर्ण बिहार के परिप्रेक्ष्य में की जाएगी।*** सभी उपस्थितों को बैठक के संबंध में उपर्युक्त जानकारी दी गई एवं उनसे सुझाव प्राप्त किए गए–

3. **समादेष्टा 9वीं बटालियन NDRF बिहटा** :– द्वारा सूचित किया गया कि विगत वर्ष NDRF की 8 टीमें एवं 48 मोटरबोटों को पटना के घाटो पर लगाया गया था।
   - ➢ इस वर्ष बिहटा में NDRF की 9 टीमों की उपलब्धता बतलाई गई, जिसमें प्रत्येक टीम के साथ 4 इन्फ्लैटेबल मोटरबोट रहेंगे।
   - ➢ पटना में गंगा नदी के किनारे कुछ घाटो को खतरनाक घोषित किया गया है, किन्तु इन घाटों पर बैरीकेडिंग नहीं होती है, जिससे कि उन घाटों पर भी छठव्रती आ जाते हैं, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक है। समादेष्टा द्वारा अनुरोध किया कि इन

घाटों पर बेरीकेडिंग एवं (Volunteers) की नियुक्ति होनी चाहिए जो कि छठव्रतियों को इन घाटों पर पूजा करने से रोकेंगे।

- घाटों के पीछे (Volunteers) की उपस्थिति होने से छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं को नियंत्रित करने में आसानी होगी।

4. **समादेष्टा / उपसमादेष्टा SDRF :-** द्वारा सूचित किया गया कि उनके पास 45 इन्फ्लैटेबल मोटरबोट एवं 6 टीमें हैं, यह भी सूचित किया गया कि विगत वर्षो से प्राप्त अनुभवों के आधार पर उनकी टीमें NDRF टीमों से स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम हैं।

5. **मैनेजर, रेडक्रॉस सोसाइटी पटना–** द्वारा सूचित किया गया कि रेडक्रॉस सोसाईटी के द्वारा प्रत्येक जिले में First-Aid कैम्प लगाए जाते हैं और उनके Volunteers छठ पूजा के दौरान सफेद अप्रेन पहन कर कार्य करते हैं, जिससे उनकी पहचान बनी रहती है। रेडक्रॉस के Volunteers पूजा के दौरान वृद्ध महिलाओं और बच्चों को उचित मार्गदर्शन भी देते हैं।

6. **नागरिक सुरक्षा** :– समादेष्टा SDRF श्री विनोद कुमार नागरिक सुरक्षा में सहायक निदेशक के पद पर भी पदस्थापित हैं। उनके द्वारा नागरिक सुरक्षा के निदेशालय के पदाधिकारी के रूप में भी अपना Representation दिया गया। नागरिक सुरक्षा के Volunteers पटना, पूर्णियाँ, कटिहार एवं बेगुसराय में है, जिनको छठपूजा के दौरान आवश्यक निर्देशों के साथ सुरक्षा कार्यो में प्रयुक्त किया जा सकता है।

7. **श्री संदीप कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन विभाग** :– के द्वारा सुझाव दिया गया कि पटना में नदी घाटों पर जहाँ चचरी पुल बनाए गए हो, एवं नदी घाटों से शहर की ओर आनेवाले सँकरे रास्तो पर भी वहाँ विशेष रूप से स्वयंसेवकों को नियुक्त किया जाए।

बैठक में सभी पक्षों से विचार–विमर्श के उपरांत निम्नांकित निर्णय लिए गए–

(क) छठ महापर्व 2014 के अवसर आपदा प्रबंधन की दृष्टि से पूर्व तैयारियों के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला **राजधानी पटना** को माना गया जहाँ गंगा तट पर सर्वाधिक भीड़ इकट्ठी होती है।

(ख) पटना में गंगा के खतरनाक घाटो पर भी बैरीकेडिंग की जाए एवं समस्त घाटों पर यथानुसार नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवको की नियुक्ति की जाए जो छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करेंगें। जहाँ कहीं भी नदी घाटो पर चचरी पुल बनाए जाएँ वहाँ भी उन स्वयंसेवको की नियुक्ति की जाएगी। नदी घाटो से शहर की ओर

आने वाले सँकरे रास्तों को पूर्व से ही चिहिन्त करने उसपर नागरिक सुरक्षा के Volunteers को लगाया जाएगा।

(अनुपालन : आयुक्त–सह–महानिदेशक, नागरिक सुरक्षा/जिला पदाधिकारी पटना)

(ग) पटना के अतिरिक्त 1. वैशाली (हाजीपुर) 2. भागलपुर एवं नवगछिया, 3. सारण, 4. भोजपुर, 5. बक्सर 6. बेगूसराय 7. कटिहार 8. खगड़िया और 9 मुंगेर 10. मुजफ्फरपुर एवं 11. गोपालगंज छठपूजा की दृष्टि से प्राथमिकता वाले जिले निर्धारित किए गए जहाँ गंगा एवं गंडक नदी के घाटों पर व्यापक रूप से छठ पर्व मनाया जाता है। इनके अलावा राज्य में अन्य जिलों में तलाबों एवं छोटी नदियों के तट पर भी छठ पर्व मनाया जाता है। विशेष रूप से **औरंगाबाद के देव कुंड** के घाट पर बड़े पैमाने पर छठ मनाया जाता है।

(घ) **पटना, आरा–कोईलवर, बक्सर, सारण–सोनपुर, वैशाली और भागलपुर–नवगछिया** में छठ पूजा के अवसर पर NDRF की टीमों की तैनाती की जाएगी और शेष प्राथमिकता वाले जिलों – **बेगुसराय, मुजफ्फरपुर कटिहार, खगड़िया, मुंगेर, औरंगाबाद एवं गोपालगंज** में SDRF टीमों की तैनाती की जाएगी।

(अनुपालन : कमांडेन्ट, NDRF/SDRF)

(ड.) पटना जिला में 12 NDRF टीमों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। तथा बक्सर, भोजपुर एवं वैशाली में एक–एक तथा सारण में 2 NDRF टीमों की आवश्यकता पड़ेगी।

(अनुपालन : कमांडेन्ट, NDRF/SDRF)

(च) पटना मेडिकल कॉलेज हास्पीटल के इमरजेंसी वार्ड के समीप **NDRF + Red Cross + Civil Defense + SDRF** की सम्मिलित एक टीम का कैम्प रहेगा जो किसी भी आपदा की परिस्थिति में त्वरित Response करेगा। टीम का नेतृत्व उप समादेष्टा, SDRF करेंगे। इसके लिए टेंट एवं उपस्कर SDRF द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

(अनुपालन–आयुक्त–सह–महानिदेशक नागरिक सुरक्षा/समादेष्टा NDRF समादेष्टा SDRF/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी रेडक्रॉस सोसाईटी)

(छ) सभी जिलों में हर घाटों पर रेड क्रास सोसायटी द्वारा स्वयं सेवको की प्रतिनियुक्ति की जाएगी जो रेड क्रास का ड्रेस पहन कर जिला प्रशासन के निदेशानुसार कार्य करेंगे।

(अनुपालन : मानद निदेशक, बिहार रेड क्रास सोसायटी, पटना/ सभी जिला पदाधिकारी)

(ज) इस प्रकार NDRF की कुल 18 टीमों की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अतिरिक्त 2 टीमें आरक्षित रहेगी। इसके लिए NDMA/ NDRF/ MHA/ MHA(DM) से अनुरोध किया जाएगा।

(अनुपालन : विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग/ विशेष कार्य पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन विभाग)

(झ) **प्रधान सचिव महोदय द्वारा यह निदेश दिया गया कि** विशेष सचिव श्री अनिरूद्ध कुमार, समादेष्टा 9वीं बटालियन NDRF, उप समादेष्टा SDRF अपर समाहर्त्ता (Relif) पटना और अन्य दो विभागीय पदाधिकारी पटना के घाटों का निरीक्षण इसी सप्ताह कर ले और जिला प्रशासन एवं अधीक्षक, PMCH के साथ **Response Strategy** की पूर्ण तैयारी कर लें। साथ ही NDRF समादेष्टा बक्सर, भोजपुर–कोईलवर, सारण–सोनपुर, वैशाली –हाजीपुर के संबंध में भी जिला प्रशासन के साथ मिलकर आवश्यक **Response Strategy** तैयार कर लेगें।

(अनुपालन–विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग/ समादेष्टा NDRF/ समादेष्टा SDRF/ अधीक्षक PMCH/जिला पदाधिकारी, पटना/ बक्सर/ भोजपुर/ सारण/ वैशाली)

(ञ) SDRF समादेष्टा एवं उपसमादेष्टा इसी प्रकार अपने प्रभार वाले जिलो का भ्रमण करते हुए अपने **Response** की **Strategy** तैयार कर लेगें।

(अनुपालन : समादेष्टा/उपसमादेष्टा SDRF/ जिला पदाधिकारी बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, कटिहार, खगड़िया, मुंगेर, औरंगाबाद, गोपालगंज)

(ट) सभी NDRF एवं SDRF बोटो पर हैन्ड हेल्ड माइक लगाए जाएँगे। इसके लिए SDRF पर्याप्त माईकों का क्रय कर लेंगे। यदि आवश्यकता होगी तो इन्हें NDRF को भी उधार दिया जाएगा।

(अनुपालन : समादेष्टा SDRF/ समादेष्टा NDRF)

(ठ) महानिदेशक नागरिक सुरक्षा द्वारा पटना, कटिहार, बेगूसराय एवं पूर्णियां में नागरिक सुरक्षा के Volunteers को घाटों एवं तालाबों पर छठव्रतियों एवं श्रद्धालुओं के लिए प्रतिनियुक्त करने संबंधी दिशानिर्देश निर्गत किया जाएगा और ये स्वयंसेवक नागरिक सुरक्षा के जैकेट को पहन कर संबंधित जिला पदाधिकारी के निदेशानुसार कार्य करेंगे।

(अनुपालन : आयुक्त–सह–महानिदेशक नागरिक सुरक्षा, सहायक निदेशक नागरिक सुरक्षा निदेशालय/ जिला पदाधिकारी, पटना, कटिहार, बेगूसराय एवं पूर्णियां)

(ड) जिन जिलों में NDRF/SDRF टीमों की प्रतिनियुक्ति होगी उन जिलों में उपलब्ध इन्फ्लैटेबल मोटरबोटो को भी संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा इन टीमों को प्रयोग करने हेतु उपलब्ध कराया जाएगा और ये टीमे उन बोटो का परिचालन कर उनका प्रयोग सुरक्षा कार्यो में करेगी।

(अनुपालन : सभी बाढ़ प्रवण जिला पदाधिकारी, समादेष्टा SDRF/समादेष्टा NDRF)

(ढ़) SDRF के पास एवं विभाग में अतिरिक्त रूप से उपलब्ध लाईफ जैकटो को 10–15 की संख्या में गैर बाढ़ प्रवण 10 जिलों को उपलब्ध करा दिया जाएगा एवं छठ पूजा के पश्चात् इसे सही सलामत वापस प्राप्त कर लिया जाएगा।

(अनुपालन : विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग/समादेष्टा NDRF)

(ण) आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा सभी अतिबाढ़ प्रवण/बाढ़ प्रवण 28 जिलो में तथा गैर बाढ़प्रवण 10 जिलों में क्रमशः 30–30 और 15–15 गोताखोरों को प्रशिक्षित किया गया है। साथ ही बाढ़ प्रवण जिलों में इन्फ्लेटेबल मोटर बोट/ देशी नाव उपलब्ध कराए गए हैं एवं होमगार्ड के जवानों को चालकों के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। सभी 38 जिलो के जिला पदाधिकारी प्रशिक्षित गोताखोरों और लाईफ जैकेटो की प्रतिनियुक्ति इंफ्लेटेबल बोट/ देशी नाव सहित(जहाँ उपलब्ध हो) छठ पूजा घाटों पर करेगें। बाढ़ प्रवण 28 जिलों में प्रतिनियुक्त मोटरबोट चालकों एवं गोताखोरो के मानदेय का भुगतान आबादी निष्क्रमण मद में उपलब्ध राशि से किया जाएगा और गैर बाढ़ प्रवण 10 जिलों में इनका भुगतान जिला प्रशासन को उपलब्ध आकस्मिकता निधि की राशि से होगा। ***इस संबंध में सभी जिलों को स्वतः स्पष्ट पत्र विभाग द्वारा भेजा जाएगा।***

(अनुपालन : सभी जिला पदाधिकारी)

(त) सभी जिले छठ महापर्व के लिए **आपदा प्रबंधन की दृष्टि से की गई पूर्व तैयारियों के संबंध में अपनी कार्य योजना एवं कम्युनिकेशन प्लान (संक्षिप्त)** की हार्ड कॉपी व Soft कॉपी अचूक रूप से **दिनांक–20/10/2014** तक विभाग को उपलब्ध कराएँगें।

(अनुपालन : सभी जिला पदाधिकारी)

(थ) आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सभी बाढ़ प्रवण जिलों में पर्याप्त संख्या में टेंट उपलब्ध कराए गए हैं। छठ पूजा के दौरान नदी घाटों पर जहाँ भारी भीड़ होने की संभावना है, वहाँ पर यह टेंट लगाए जाएँगें और उन टेंटो के ऊपर आपदा प्रबंधन विभाग एवं संबंधित जिलो का नाम का बैनर लगाया जाएगा। यह टेंट एक प्रकार से जिलों में अवस्थित गोताखोरो/आपदा प्रबंधन टीमों/NDRF/SDRF के लिए कैम्प और **Onsite आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम** का कार्य करेगें। इन कैम्पों 24X7 के आधार पर 28 से 30 अक्टूबर तक पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। इन कैम्पों में सभी

महत्वपूर्ण दूरभाष नंबरों की सूची उपलब्ध रहेगी, और किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटने अथवा अप्रिय घटना की आशंका होते हीं तुरन्त सभी संबंधितो, जिला कंट्रोल रूम और राज्य इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को इससे अवगत कराया जाएगा।

(अनुपालन : सभी बाढ़ प्रवण जिलो के जिला पदाधिकारी)

(द) प्रत्येक बाढ़ प्रवण जिले में रेड क्रॉस को भी कैम्प लगाने हेतु टेंट उनकी अधियाचना पर जिला प्रशासन उपलब्ध कराएगा।

(अनुपालन : सभी बाढ़ प्रवण जिलो के जिला पदाधिकारी)

(ध) प्रत्येक जिले में **Quick Medical Response टीमों** को प्रशिक्षित किया गया है। साथ ही जिलों को आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा एम्बुलेंस उपलब्ध कराए गए हैं। इन QMRT एवं एम्बुलेंसों की भी प्रतिनियुक्ति पूर्व से ही कर ली जाएगी।

(अनुपालन : सभी जिला पदाधिकारी)

(न) जिलों को तथा SDRF को **Inflatable Emergency Lighting System (IELS)** भी उपलब्ध कराए गए हैं। छठपर्व के अवसर पर इनका भी उपयोग घाटो पर किया जाएगा।

(अनुपालन : सभी जिला पदाधिकारी)

(प) किसी भी आपदा के दौरान त्वरित Response का होना सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि इसके द्वारा बड़ी संख्या में लोगों के जीवन की रक्षा की जा सकती है तथा पीड़ितों को आवश्यक मानवीय सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। त्वरित रिस्पांस के लिए आवश्यक है कि संचार उपकरणों के सदैव चालू अवस्था में रखा जाए और इसके लिए विशेष **Communication Plan** पूर्व से ही तैयार रहे।
राज्य स्तर पर State Emergency Operation Centre में यह Plan तैयार रहेगा, जिसमें–

- सभी जिला मुख्यालय के नियंत्रण कक्ष का नंबर
- सभी Onsite आपदा प्रबंधन कंट्रोल शिविर के नंबर (टेंट)
- सभी **Red Cross First Aid Camp** के नंबर
- सभी **Civil Defense Volunteers** के संपर्क नंबर
- NDRF कंट्रोल रूम के नंबर रहेंगे और NDRF/SDRF/Red Cross/Civil Defense के लोगों के पास भी उपलब्ध रहेंगे।

(अनुपालन : विशेष कार्य पदाधिकारी–सह– प्रभारी पदाधिकारी SEOC)

बैठक के अंत में प्रधान सचिव महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि उपर्युक्त सभी तैयारियों को ससमय पूरा कर लिया जाए एवं सभी संबंधित किये तैयारियों के प्रतिवेदन के साथ दिनांक–20.10.14 को संध्या 5 बजे पुनः बैठक हेतु उपस्थित रहेंगे।

(व्यास जी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 3680 /आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 9/10/14

प्रतिलिपि– समादेष्टा, NDRF, बिहटा/ समादेष्टा, SDRF को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 3680 /आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 9/10/14

प्रतिलिपि– सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 3680 /आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 9/10/14

प्रतिलिपि– सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 3680 /आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 9/10/14

प्रतिलिपि– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, रेडकास सोसायटी पटना/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग/ नागरिक सुरक्षा आयुक्त–सह–महानिदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 3680 /आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 9/10/14

प्रतिलिपि– पुलिस महानिदेशक/ प्रधान सचिव, गृह विभाग एवं मुख्य सचिव, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 3680 /आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 9/10/14

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, माननीय मुख्य मंत्री को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव